रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07012026-269155
CG-DL-E-07012026-269155

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 7] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 6, 2026/पौष 16, 1947
No. 7] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 6, 2026/PAUSHA 16, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 2026

सा.का.नि. 07(अ).—केंद्रीय मोटर नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन यथाअपेक्षित भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सा.का.नि. 714(अ), तारीख 23 सितंबर, 2025 द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिनको उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, तीस दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और, उक्त अधिसूचना वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 25 सितंबर, 2025 को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और, उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है ;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (पहला संशोधन) नियम, 2025 है ।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 120 के उप नियम (2) में, दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:--

"परंतु, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के अधीन समनुरूप बी आई एस विनिर्देशन अधिसूचित किए जाने तक, समय-समय पर यथासंशोधित AIS-173 में यथा विनिर्दिष्ट श्रव्यता संबंधी अपेक्षाओं के अनुरूप, नए मॉडलों के मामले में 1 अक्टूबर, 2026 को और उसके पश्चात् तथा विद्यमान मॉडलों के मामले में 1 अक्टूबर, 2027 को और उसके पश्चात्, श्रेणी M और N के विद्युतीकृत वाहनों में ध्वनिक वाहन चेतावनी प्रणाली (Acoustic Vehicle Alerting System) लगाई जाएगी।"

3. उक्त नियमों के, नियम 138 के, उप-नियम (4) के, खंड के,

(क) पहले परंतुक में, "एम1" अक्षर और अंक के पश्चात्, "एल5, ई-रिक्शा, ई-कार्ट" अक्षर, अंक और शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) दूसरे परंतुक में, "एम1" अक्षर और अंक के पश्चात्, "एल5, एल7, ई-रिक्शा और ई-कार्ट" अक्षर, अंक और शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. आरटी-11036/103/ 2025-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 835(अ), तारीख 11 नवंबर, 2025 द्वारा किया गया ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd January, 2026

G.S.R. 07(E).— Whereas, the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways *vide* number G.S.R 714 (E), dated the 23rd September,2025, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section (3), Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date of which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 25th September, 2025;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

1. **Short title and commencement** - (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (01st Amendment) Rules, 2026.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.;

2. In the Central Motor Vehicle Rules, 1989 (hereinafter referred as the said rules), in rule 120, in sub-rule (2), after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided also that on and after the 1st day of October 2026 in case of new models, and the 1st day of October 2027 in case of existing models, electrified vehicles of category M and N shall be fitted with Acoustic Vehicle Alerting System confirming to the requirements with regard to audibility as specified in AIS-173, as amended from time to time, till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016)"

3. In the said rules, in rule 138, in sub-rule (4), in clause,

(a) in the first proviso, after the letter and figure "M1", the letters, figures and words ", L5, E-rickshaw, E-cart" shall be inserted;

(b) in the second proviso, after the letter and figure "M1", the letters, figure and words ", L5, L7, E-rickshaw and E-cart" shall be inserted.

[F. No. RT-11036/103/2025-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and was lastly amended *vide* notification number G.S.R. 835(E) dated the 11th November, 2025

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2026.01.07 12:39:28 +05'30'